146

बिहार सरकार

लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग।

E-mail पत्रांक–6ए / वि01–149 / 2018 475

प्रेषक,

अशोक कुमार,
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी क्षेत्रीय मुख्य अभियंता,
सभी अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक सहित),
सभी कार्यपालक अभियंता (यांत्रिक सहित),
लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग, बिहार।

पटना, दिनांक–15/3/23

विषयः एकरारनामा के अनुसार कार्य समाप्ति के तिथि के बाद संवेदक को भुगतान के संबंध में।

प्रसंगः पथ निर्माण विभाग, बिहार सरकार का कार्यालय आदेश संख्या–प्र06– / विविध–54 / 2008 –139–सह–पठित ज्ञापांक–5188(S) पटना, दिनांक–25.10.2021

महाशय,

पथ निर्माण विभाग के उक्त प्रासंगिक पत्र की प्रति संलग्न करते हुए कहना है कि विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन में भी इसका अनुपालन सुनिश्चित करेंगें।

अनु0–यथोपरि।

विश्वासभाजन
15/3/23
(अशोक कुमार)
अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव

147

यू-6 A 402

बिहार सरकार
पथ निर्माण विभाग
कार्यालय आदेश -139

कार्यालय आदेश संख्या–प0-6/वि0वि0-54/2008 पटना, दिनांक– 25/10/21

विभागीय कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1631(S), दिनांक 28.02.2018 की कंडिका–5 में निम्नांकित प्रावधान किए गए हैं :–

"(5) (i) कार्य समाप्ति की तिथि के बाद जब तक अवधि विस्तार सक्षम स्तर से स्वीकृत न हो तब तक संवेदकों को किसी भी प्रकार का भुगतान मान्य नहीं होगा।"

प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि उपर्युक्त प्रावधान के परिणामस्वरूप Genuine reason से भी समय पर कार्य पूर्ण नहीं होने तथा समय अवधि विस्तार में व्यावहारिक रूप से समय लगने के कारण संवेदकों का संपूर्ण भुगतान रूका रहता है, जिससे कार्य और विलम्बित हो जाता है। फलस्वरूप कार्यहित में उपर्युक्त प्रावधान में संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो रही है।

उपर्युक्त तथ्यों के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1631(S), दिनांक 28.02.2018 की कंडिका–5 (i) को संशोधित करते हुए निम्न रूप से प्रतिस्थापित किया जाता है :–

5(i)(क) एकरारनामा के अनुसार निर्धारित कार्य समाप्ति की तिथि के बाद Standard Bidding Document/F2 Agreement में अंकित प्रावधानों की कंडिका Clause 2 के अनुरूप संवेदक को एकरारित राशि में से अधिकतम 10% दण्ड शुल्क के कटौती के साथ संवेदक को भुगतान किया जा सकेगा।

5(i)(ख) काल क्रम में यदि उस कार्य के लिए सक्षम प्राधिकार के द्वारा अवधि विस्तार की स्वीकृति दी जाती है तब ऊपर 5 (i) (क) के अनुरूप कटौती की गयी राशि की वापसी की जा सकेगी।

कार्यालय आदेश ज्ञापांक–1631(S), दिनांक 28.02.2018 में अंकित शेष प्रावधान पूर्ववत लागू रहेंगे।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/–

(डॉ आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र0को0),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

कृ0पृ0उ0

399

148

ज्ञापांक– प्र०–6/ विविध – 54/2008 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः सभी मुख्य अभियंता (रा०उ०प० उपभाग सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता (रा०उ०प० अंचल सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार/ सभी कार्यपालक अभियंता (रा०उ०प० प्रमण्डल सहित) पथ निर्माण विभाग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(डॉ आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/ विविध – 54/2008 पटना, दिनांक

प्रतिलिपिः अपर मुख्य सचिव, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ माननीय मंत्री, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/–

(डॉ आलोक कुमार)
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक– प्र०–6/ विविध – 54/2008 5188 (s) पटना, दिनांक 25/10/21

प्रतिलिपिः अधीक्षण अभियंता (अनुश्रवण) पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना/ IT Manager, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय Website पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

(डॉ आलोक कुमार) 25/10
संयुक्त सचिव (प्र०को०),
पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना।